कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 320 / FP/UK/ROAD/37890/2018 :देहरादूनः दिनांकः 2 जुलाई, 2021 अगस्त

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः—जनपद—अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड प्रति दिनांक 17.03.2021 एवं ऑनलाईन दिनांक 24.07.2021 को प्राप्त हुआ है। ऑनलाईन प्रस्ताव के परीक्षण में पाई गई अपूर्णताओं के सम्बन्ध में इस कार्यालय के EDS दिनांक 19.04.2021 द्वारा पूर्व में ही ऑनलाईन सूचित किया जा चूका है। प्रस्ताव की हार्ड प्रति के गहन परीक्षणोपरान्त कतिपय अपूर्णताऐं दृष्टिगोचर हो रही हैं जो निम्नानुसार हैं:—

1. प्रस्ताव की हार्ड प्रति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले भाग—2 एवं वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले भाग—3 प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।
2. प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु अधिकृत अधिकारी के सम्बन्ध में दिया गया प्रमाण—पत्र हार्ड कापी में दिनांक पत्रांक 565 दिनांक 15.02.2019 से जारी किया गया है किन्तु ऑनलाईन अपलोड किया गया प्रमाण—पत्र में पत्रांक 708 दिनांक 12.02.2021 को निर्गत किया गया है।
3. प्रस्ताव में FRA, 2006 के पपत्र—23 से 23.2 छायाप्रति में संलग्न किये गये हैं, मूल प्रति संलग्न की जाय।
4. प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं की गयी है।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo reference map के स्थान पर गूगल मैप संलग्न किया गया है।
6. प्रस्ताव में परियोजना का स्थलीय विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
7. भूमिधरों व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य हुए करार की दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न नहीं की गयी है।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित 3.442 हे0 के दुगुने क्षेत्र अर्थात 6.884 हे0 हेतु संलग्न की जानी है, किन्तु प्रस्ताव में 9.5 हे0 की योजना (छाया प्रति में) संलग्न की गयी है।
9. पथ वृक्षारोपण की योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गयी है।
10. चूंकि प्रश्नगत मोटर मार्ग के संरेखण में बाजं वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं किन्तु बांज वृक्ष प्रभावित होने की दशा में वन संरक्षक की निरीक्षण आख्या/संस्तुति संलग्न नहीं की गयी है।
11. 5.00 कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मात्र 04 मलवा निस्तारण स्थल चिन्हित किये गये हैं जो औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। कृपया स्थिति स्पष्ट की जाय।
12. सीमांकन हेतु पिलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाय।
13. प्रस्ताव की समस्त प्रतियों में Online Part-1,II, तथा III की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाय।
15. प्रस्ताव में कतिपय अभिलेख/प्रमाण—पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न की गयी है, मूल प्रति संलग्न की जाय।

अतः प्रस्तावक विभाग अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर उपरोक्त प्रस्ताव की हार्ड प्रतियाँ वापस प्राप्त कर लेवें एवं अपूर्णताओं का पूर्ण निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से परिपूर्ण प्रस्ताव तीन प्रतियों में (मूल प्रति सहित) इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :— 320 / FP/UK/ROAD/37890/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निमलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।